

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 784
दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

रक्ताल्पता से पीड़ित महिलाएं

784. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

- (क) देश में रक्ताल्पता से पीड़ित महिलाओं और कुपोषण से पीड़ित बच्चों की हरियाणा, विशेषकर सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्यवार और जिलावार संख्या कितनी है;
- (ख) सरकार द्वारा उक्त समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) उक्त समस्याओं के समाधान के लिए राज्य को उपलब्ध कराए गए संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, इसे 2018 में शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य छह लक्षित लाभार्थियों- 6-59 महीने तथा 5-9 वर्ष के बच्चों, 10-19 साल के किशोरों, प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच 6X6X6 कार्यनीति द्वारा कार्यान्वित कर सभी हितधारकों के लिए छह संस्थागत तंत्रों के माध्यम से कार्यान्वित छह कार्यकलापों के माध्यम से एनीमिया के प्रसार को कम करना है। एएमबी कार्यनीति के लिए छह कार्यकलापों में शामिल हैं:

1. सभी छह लाभार्थियों को रोगनिरोधी आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) अनुपूरण

2. कृमि मुक्ति

3. गहन व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान चार प्रमुख व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करेगा - आईएफए अनुपूरण और कृमि मुक्ति के अनुपालन में सुधार, शिशु और छोटे बच्चों को आहार देने की उचित पद्धति, आहार विविधता/मात्रा/आवृत्ति और/या फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के माध्यम से आयरन युक्त खुराक में वृद्धि और स्वास्थ्य सुविधाओं में देरी से गर्भनाल को बंद करना सुनिश्चित करना
4. डिजिटल तरीकों और देखरेख उपचार बिंदु का उपयोग करके एनीमिया का परीक्षण और उपचार,
5. सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन और फोलिक एसिड फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का अनिवार्य प्रावधान
6. एनीमिया के गैर-पोषण कारणों के बारे में जागरूकता, जांच और उपचार को तेज करना

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बेहतर पोषण सामग्री तथा वितरण के माध्यम से कुपोषण की समस्या का समाधान करना है। 15वें वित्त आयोग के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष) के लिए योजना को अम्ब्रेला मिशन में शामिल किया गया है।

इस मिशन में, सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन के माध्यम से कुपोषण में कमी और बेहतर स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती तथा प्रतिरक्षा के लिए एक कार्यनीतिक बदलाव किया गया है। मिशन पोषण 2.0 में मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषित (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषित (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि ठिगनेपन और एनीमिया के अलावा कुपोषण और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

इस मिशन के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र का समाधान किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, हालांकि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों के आधार पर पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित

हैं। इसमें मानदंड में गुणवत्ता वाले प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर - कच्चा राशन नहीं) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन प्रमुख कार्यकलाप हैं। इसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रक्ताल्पता(एनीमिया) से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए पोषण अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एनीमिया से संबंधित विशेष थीम को शुरू किया गया है। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

वर्ष 1992-93 से संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चक्रों में पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाया गया है। एनएफएचएस -1 से एनएफएचएस -5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

| एनएफएचएस सर्वेक्षण | अल्पवजनी बच्चों का % | कमजोर बच्चों का % | ठिगने बच्चों का % |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------------------|------|------|------|
| एनएफएचएस - 1 (1992-93)* | 53.4 | 17.5 | 52 |
| एनएफएचएस -2 (1998-99)** | 47 | 15.5 | 45.5 |
| एनएफएचएस -3 (2005-6)*** | 42.5 | 19.8 | 48.0 |
| एनएफएचएस -4 (2015-16)*** | 35.8 | 21.0 | 38.4 |
| एनएफएचएस -5 (2019-21)*** | 32.1 | 19.3 | 35.5 |

* 4 वर्ष से कम

** 3 वर्ष से कम

*** 5 वर्ष से कम

उपरोक्त तालिका समय के साथ 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की एक तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)। हालांकि, अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.54 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7.31 करोड़ बच्चों की वृद्धि मापदंडों पर मापी गई। इनमें से 38.9% बच्चे ठिगने पाए गए, 17% बच्चे अल्पवजनी और 5.2% बच्चे कमजोर पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 16.1 करोड़ है। पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, आंगनवाड़ियों में 8.82 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) नामांकित हैं जिनमें से 8.55 करोड़ बच्चों का

विकास मापदंडों पर माप किया गया। इनमें से 37% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने पाए गए हैं और 17% बच्चे (0-6 वर्ष) अल्प वजन के पाए गए हैं।

देश में कुपोषित बच्चों का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। सोनीपत संसदीय क्षेत्र (सोनीपत और जींद जिले) सहित हरियाणा राज्य में कुपोषित बच्चों का जिलावार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का विवरण राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के तहत जारी किया जाता है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (2019-21) के अनुसार, देश में 15-49 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं में एनीमिया की व्याप्तता 57 प्रतिशत है। 15-49 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं में एनीमिया का राज्यवार व्याप्तता **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

सोनीपत संसदीय क्षेत्र (सोनीपत और जींद जिले) सहित हरियाणा में 15-49 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं में एनीमिया की जिलावार व्यापकता **अनुलग्नक IV** में दी गई है।

(ग) मिशन पोषण 2.0 के तहत हरियाणा राज्य को उपलब्ध कराए गए संसाधनों का विवरण **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा राज्य के लिए कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के अनुसार, हरियाणा राज्य को एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दी गई राशि 1588.58 लाख रुपये है।

अनुलग्नक-1

"एनीमिया से पीड़ित महिलाओं" के संबंध में श्री सतपाल ब्रह्मचारी द्वारा दिनांक 29.11.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 784 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

आंगनवाड़ी और देश भर में पंजीकृत कुपोषित बच्चों (0-5 वर्ष) का राज्यवार विवरण इस प्रकार है*:

| राज्य | बौना % | दुबला % | अल्पवजन % |
|----------------|--------|---------|-----------|
| आंध्र प्रदेश | 22.6 | 5.3 | 10.8 |
| अरुणाचल प्रदेश | 32.8 | 4.2 | 9.6 |
| असम | 42.4 | 3.8 | 16.4 |
| बिहार | 43.8 | 9.2 | 22.9 |
| छत्तीसगढ़ | 21.5 | 7 | 13.1 |
| गोवा | 4.1 | 0.6 | 1.7 |
| गुजरात | 40.8 | 7.8 | 21 |
| हरियाणा | 28.2 | 4.1 | 8.7 |
| हिमाचल प्रदेश | 18.4 | 1.7 | 6.3 |
| झारखंड | 43.8 | 6.2 | 19.3 |
| कर्नाटक | 39.7 | 3.2 | 17.1 |
| केरल | 34.4 | 2.3 | 9.5 |
| मध्य प्रदेश | 46.5 | 7 | 26.5 |
| महाराष्ट्र | 47.7 | 4.1 | 16.5 |
| मणिपुर | 7.7 | 0.3 | 2.6 |
| मेघालय | 18.2 | 0.4 | 4.5 |
| मिजोरम | 26.7 | 2.3 | 5.9 |
| नागालैंड | 28 | 5.3 | 6.6 |
| ओडिशा | 29.1 | 2.9 | 12.8 |
| पंजाब | 18.4 | 3 | 5.9 |
| राजस्थान | 36.6 | 5.5 | 17.7 |
| सिक्किम | 9.2 | 1.5 | 1.7 |
| तमिलनाडु | 13.4 | 3.6 | 7.1 |

| राज्य | बौना % | दुबला % | अल्पवजन % |
|----------------------------------|--------|---------|-----------|
| तेलंगाना | 32.6 | 5.6 | 16.2 |
| त्रिपुरा | 40.5 | 6.3 | 16.6 |
| उत्तरप्रदेश | 48 | 3.9 | 19.4 |
| उत्तराखंड | 21 | 1.5 | 5.4 |
| पश्चिम बंगाल | 38 | 7.5 | 13 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 8.7 | 2.3 | 3.9 |
| दादरा और नगर हवेली - दमन एवं दीव | 35.9 | 3.4 | 16.1 |
| दिल्ली | 41.9 | 3 | 20.6 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 12.1 | 0.7 | 3 |
| लद्दाख | 11 | 0.2 | 2 |
| लक्षद्वीप | 46.5 | 11.9 | 25.1 |
| पुदुचेरी | 40.2 | 6.8 | 13 |
| चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र | 26.3 | 1.8 | 11.9 |

* पोषण ट्रैकर से अक्टूबर 2024 के आंकड़े लिए गए हैं

अनुलग्नक-II

"एनीमिया से पीड़ित महिलाओं" के संबंध में श्री सतपाल ब्रह्मचारीद्वारा दिनांक 29.11.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 784 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

सोनीपत (सोनीपत और जींद जिला) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित हरियाणा राज्य में आंगनवाड़ियों में पंजीकृत कुपोषित बच्चों (0-5 वर्ष) का जिलेवार विवरण इस प्रकार है*:

| जिला | बौना % | दुबला % | अल्पवजन % |
|-------------|--------|---------|-----------|
| अम्बाला | 31.52 | 5.70 | 9.25 |
| भिवानी | 21.04 | 2.62 | 5.58 |
| चरखी दादरी | 7.41 | 0.81 | 2.06 |
| फरीदाबाद | 24.34 | 2.58 | 7.07 |
| फतेहाबाद | 32.97 | 6.26 | 10.47 |
| गुरुग्राम | 23.20 | 2.63 | 5.76 |
| हिसार | 33.01 | 4.01 | 9.31 |
| झज्जर | 26.10 | 1.05 | 4.44 |
| जींद | 34.37 | 6.43 | 11.16 |
| कैथल | 27.35 | 7.82 | 11.01 |
| करनाल | 28.26 | 5.55 | 10.32 |
| कुरुक्षेत्र | 28.94 | 4.54 | 10.64 |
| महेंद्रगढ़ | 32.81 | 3.07 | 10.42 |
| नूह | 23.08 | 2.67 | 7.91 |
| पलवल | 46.06 | 7.30 | 17.43 |
| पंचकुला | 25.77 | 2.18 | 7.30 |
| पानीपत | 33.39 | 5.53 | 8.99 |
| रेवाड़ी | 27.00 | 3.34 | 8.23 |
| रोहतक | 29.17 | 3.22 | 5.82 |
| सिरसा | 34.46 | 4.44 | 11.79 |
| सोनीपत | 11.75 | 1.52 | 2.50 |
| यमुनानगर | 32.02 | 6.06 | 11.29 |
| कुल | 28.21 | 4.13 | 8.70 |

* पोषण ट्रैकर से अक्टूबर 2024 के आंकड़े लिए गए हैं

अनुलग्नक-III

"एनीमिया से पीड़ित महिलाओं" के संबंध में श्री सतपाल ब्रह्मचारीद्वारा दिनांक 29.11.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 784 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

देश में 15-49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की राज्यवार व्यापकता (स्रोत: एनएफएचएस 2019-21)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | एनीमिया से पीड़ित 15-49 वर्ष की महिलाएं (%) |
|------------------------------|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 57.5 |
| आंध्र प्रदेश | 58.8 |
| अरुणाचल प्रदेश | 40.3 |
| असम | 65.9 |
| बिहार | 63.5 |
| चंडीगढ़ | 60.3 |
| छत्तीसगढ़ | 60.8 |
| डीएनएच एवं डीडी | 62.5 |
| गोवा | 39.0 |
| गुजरात | 65.0 |
| हरियाणा | 60.4 |
| हिमाचल प्रदेश | 53.0 |
| जम्मू और कश्मीर | 65.9 |
| झारखंड | 65.3 |
| कर्नाटक | 47.8 |
| केरल | 36.3 |
| लद्दाख | 92.8 |
| लक्षद्वीप | 25.8 |
| मध्य प्रदेश | 54.7 |
| महाराष्ट्र | 54.2 |

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | एनीमिया से पीड़ित 15-49 वर्ष की महिलाएं (%) |
|----------------------------------|---|
| मणिपुर | 29.4 |
| मेघालय | 53.8 |
| मिजोरम | 34.8 |
| नागालैंड | 28.9 |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 49.9 |
| ओडिशा | 64.3 |
| पुदुचेरी | 55.1 |
| पंजाब | 58.7 |
| राजस्थान | 54.4 |
| सिक्किम | 42.1 |
| तमिलनाडु | 53.4 |
| तेलंगाना | 57.6 |
| त्रिपुरा | 67.2 |
| उत्तरप्रदेश | 50.4 |
| उत्तराखंड | 42.6 |
| पश्चिम बंगाल | 71.4 |

अनुलग्नक-IV

"एनीमिया से पीड़ित महिलाओं" के संबंध में श्री सतपाल ब्रह्मचारीद्वारा दिनांक 29.11.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 784 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (सोनीपत और जींद जिला) सहित हरियाणा राज्य में 15-49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की जिलावार व्यापकता (स्रोत: हरियाणा राज्य रिपोर्ट, एनएफएचएस 2019-21)

| जिले का नाम | एनीमिया से पीड़ित 15-49 वर्ष की महिलाएं (%) |
|-------------|---|
| अम्बाला | 46.1 |
| भिवानी | 66.4 |
| चरखी दादरी | 72.6 |
| फरीदाबाद | 54.2 |
| फतेहाबाद | 62.3 |
| गुड़गाँव | 67.5 |
| हिसार | 63.8 |
| झज्जर | 60.1 |
| जींद | 59.6 |
| कैथल | 61.5 |
| करनाल | 61.9 |
| कुरुक्षेत्र | 57.1 |
| महेंद्रगढ़ | 61.2 |
| मेवात | 60.6 |
| पलवल | 57.2 |
| पंचकुला | 57.1 |
| पानीपत | 66.9 |
| रेवाड़ी | 61.8 |
| रोहतक | 65.3 |
| सिरसा | 61.9 |
| सोनीपत | 53.3 |
| यमुनानगर | 56.6 |

अनुलग्नक-V

"एनीमिया से पीड़ित महिलाओं" के संबंध में श्री सतपाल ब्रह्मचारीद्वारा दिनांक 29.11.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 784 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

मिशन पोषण 2.0 के तहत हरियाणा राज्य को जारी कुल निधि इस प्रकार है:

| निधि | जारी की गई (करोड़) |
|---------|-----------------------|
| 2021-22 | 173.03 |
| 2022-23 | 195.25 |
| 2023-24 | 225.78 |
| 2024-25 | 177.77* |

* 20 नवंबर 2024 तक जारी की गई निधि
